प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.12.2024

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा थाना शालीमार गार्डन क्षेत्रान्तर्गत 01 दम्पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:दिनांक 17.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना शालीमार गार्डन क्षेत्रान्तर्गत 01 दम्पति रीना व पंकज निवासी ए- 124 शालीमार गार्डन एक्स0-2 गाजियाबाद द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी। तत्काल इस सूचना पर थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम मौक पर पहुंची तो घटना स्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसके आधार पर तत्काल सुसंगत धारा 108 बीएनएस 2023 में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 19.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 दम्पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले 02 अभियुक्त 1. धैर्य नेगी पुत्र महेन्द्र पाल सिंह हाल निवासी ए 124 जी-3 शालीमार गार्डन एक्स-2 शालीमार गार्डन गाजियाबाद। मूल पता सुभाष नगर नियर पीएसी बटालियन गेट न0 1 ज्वालापुर हरिद्वार उम्र 31 वर्ष व श्याम पुत्र तौमचऊ निवासी म0न0 130 गली न0 3 महावीर एन्कलेव पालम दिल्ली मूल पता मैक्यूला अबांग लइकाय लाईरैजम इम्फाल मणिपुर उम्र 46 वर्ष को भोपुरा ठेके के पास शालीमार गार्डन से गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:गिरफ्तार अभियुक्त धैर्य नेगी उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों ने माह अक्टूबर 2021 में क्रास रिवर माल दिल्ली में 4 क्वार्टर नाम से एक क्लव खोला था। जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी पंकज गुप्ता की थी और 50 प्रतिशत में हम लोग(रजत तौमर और विनय उर्फ कपिल) थे। जिसका किराया 4 लाख रुपये प्रति महीना था किन्हीं कारणों से माह दिसम्बर 2021 में क्लब बन्द हो गया था जो लगभग एक वर्ष तक बन्द रहा। जिसका लगभग 48 लाख रुपये किराये की देनदारी हम लोगों के ऊपर बन गयी थी। जिसके बाद हम लोगों को वर्ष 2023 में क्लब बेचना पडा था। जिसमें हम लोगों का काफी नुकसान हुआ था। उसी की भरपाई के लिए मैं पंकज गुप्ता से बार-बार पैसे मांगता था लेकिन पंकज गुप्ता पैसे नहीं दे रहा था।

जांच में यह भी तथ्य प्रकाश में आये कि पंकज गुप्ता वेस्टिज जो कि एक पिरैमिड स्कीम थी, मार्केटिंग कम्पनी में साहिबाबाद, इन्दिरापुरम, वैशाली, शालीमार गार्डन एरिया देखते थे। पंकज गुप्ता का वेस्टिज कम्पनी का ऑफिस भी माह नवम्बर-दिसम्बर 2022 में बन्द हो गया था। जिसमें पंकज गुप्ता को लाखों का घाटा हुआ था। जिसके कारण और कई लोगों की देनदारी बनी थी। उसी क्रम में अभियुक्त श्याम पुत्र तौमचऊ उपरोक्त द्वारा अपने दोस्त सोपिफसन कौथे निवासी चन्देल मणिपुर के बकाया 02 साल का मकान किराया लगभग 02 लाख रुपये था। जिसको लेने के लिए मकान मालिक ने अपने दोस्त श्याम उपरोक्त को किराए के मकान में रह रहे पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी से लेने के लिए भेजा। श्याम उपरोक्त द्वारा मकान का किराया लेने के लिए पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी को बार-बार डराया और धमकाया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. धैर्य नेगी पुत्र महेन्द्र पाल सिंह हाल निवासी ए 124 जी-3 शालीमार गार्डन एक्स-2 शालीमार गार्डन गाजियाबाद। मूल पता सुभाष नगर नियर पीएसी बटालियन गेट न0 1 ज्वालापुर हरिद्वार उम्र 31 वर्ष।
2. श्याम पुत्र तौमचऊ निवासी म0न0 130 गली न0 3 महावीर एन्कलेव पालम दिल्ली मूल पता मैक्यूला अबांग लइकाय लाइरैजम इम्फाल मणिपुर उम्र 46 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त धैर्य नेगी पुत्र महेन्द्र पाल सिंह व श्याम पुत्र तौमचऊ उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वीमेन पॉवर लाइन 1090 पर कॉल करके अभद्रता करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.12.2024 को मोबाइल फोन के माध्यम से **वीमेन पॉवर लाइन 1090** लखनऊ में कॉल करके अभद्रता करने के सम्बन्ध मे गुफरान के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.12.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गुफरान पुत्र गुल्फर उर्फ गुलफाम नि०- राजपूत कालोनी सईदुल्ला की कोठी के पीछे कस्बा व थाना मुरादनगर कमि० गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को राजपूत कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मैंने एक बार ऐसे ही 1090 नम्बर डायल कर दिया जिस पर कोई महिला बोल रही थी जिससे मैंने इधर उधर की बातें करनी शुरु कर दी फिर उन्होंने फोन काट दिया तब मैने बार-बार फोन मिलाकर उनके साथ अभद्रता कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-गुफरान पुत्र गुल्फर उर्फ गुलफाम नि०- राजपूत कालोनी सईदुल्ला की कोठी के पीछे कस्बा व थाना मुरादनगर कमि० गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 19.12.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस, आबकारी टीम गाजियाबाद द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र बंद फाटक के अन्तर्गत राधा विहार, अग्रवाल वाली गली में खाली प्लॉट से अवैध शराब बेचने वाले

एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 142 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बोर्डर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि चाँदनी नाम की महिला अवैध शराब हरियाणा मार्का खरीदकर लाती है तथा मैं उसके कहने पर शराब बेचता हूँ। जिसमें वह मुझे 300 रुपए रोज देती हैं।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

गोलू पुत्र बनवारी निवासी मोहल्ला राधा विहार, अग्रवाल वाली गली, बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर, गाज़ियाबाद, उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण

142 पव्वे अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त गोलू उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर 01 आबकारी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम

2.आबकारी टीम गाजियाबाद।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.03.2024 को वादी द्वारा लोनी बोर्डर पर एक तहरीर अभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर षडयंत्र रचकर सोची समझी साजिश के तहत धोखाधडी, जालसाजी करके प्रार्थी की संपत्ति के नकली कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उस पर 40 लाख रुपये लोन लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में लाकर दाखिल की थी, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 19.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. विमल पुत्र राजकरन निवासी ग्राम गोहाना औरैया इटावा, हाल पता मकान नम्बर 5/448 गली नम्बर 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मंडोली दिल्ली उम्र 42 वर्ष, व 2.राजकरन पुत्र हरसहाय नि0 ग्राम गोहाना औरैया इटावा, हाल पता मकान नम्बर 5/448 गली नम्बर 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मंडोली दिल्ली उम्र करीब 65 वर्ष को गिरफ्तार किया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि हमने यह प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था उसके उपरांत उपरोक्त प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर दो भिन्न भिन्न बैंकों से 4000000 रुपये लोन अवैध रूप से अर्जित कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.विमल पुत्र राजकरन निवासी ग्राम गोहाना औरैया इटावा, हाल पता मकान नम्बर 5/448 गली नम्बर 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मंडोली दिल्ली, उम्र 42 वर्ष

2.राजकरन पुत्र हरसहाय नि0 ग्राम गोहाना औरैया इटावा, हाल पता मकान नम्बर 5/448 गली नम्बर 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मंडोली दिल्ली, उम्र करीब 65 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 मुकदमा पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 19.12.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त अभिषेक उर्फ लैपर्ड धोबी पुत्र हरबीर धोबी निवासी 1135 गली न0-07 घूकना मोड़ थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को मरियम स्कूल के पास घूकना मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ लैपर्ड धोबी पुत्र हरबीर धोबी उपरोक्त धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग में वाछिँत चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ लैपर्ड धोबी पुत्र हरबीर धोबी उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ लैपर्ड धोबी पुत्र हरबीर धोबी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त व उनके साथियों द्वारा गिरोह बनाकर लूट जैसे संगीन अपराध कारित किये गये है। जिनके द्वारा इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत पैट्रोल पम्प के कर्मचारीयो से 9.56 लाख रु की लूट की घटना कारित की गयी थी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अभिषेक उर्फ लैपर्ड धोबी पुत्र हरबीर धोबी निवासी 1135 गली न0-07 घूकना मोड़ थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ लैपर्ड धोबी पुत्र हरबीर धोबी उपरोक्त थाना इन्दिरापुरम पर लूट, आर्म्स एक्ट व गैगंस्टर एक्ट का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में मालिक समेत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 हुक्का, 03 हुक्का प्लेट व 03 हुक्का पाईप बरामद।

आज दिनांक 19.12.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान शक्तिखन्ड 02 डी-माल के पास टीओडी क्लब में अवैध रुप से संचालित हुक्का बार में टीओडी क्लब के मालिक रोनक सिंह पुत्र अरुण कुमार निवासी

म0न0834 जीएफ सैक्टर 03 वैशाली थाना कौशाम्बी उम्र 21 वर्ष व मैनेजर आकाश पुत्र अजय पाल सिंह निवासी कस्बा व थाना विधुना भरतना रोड़ जिला औरैया हाल पता टीओडी क्लब शक्ति खंड 02 उम्र 20 वर्ष को शक्तिखन्ड 02 डी-माल के पास टीओडी क्लब से से 03 हुक्का, 03 हुक्का प्लेट व 03 हुक्का पाईप सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रोनक सिंह पुत्र अरुण कुमार व आकाश पुत्र अजय पाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध धारा 21/22 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त रोनक सिंह पुत्र अरुण कुमार व आकाश पुत्र अजय पाल सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि क्लब के अन्दर 02 लोग थे। जिसमें से रोनक सिंह ने अपने आप को क्लब का मालिक बताया और दूसरा आकाश जिसने अपने आपको क्लब का मैनेजर बताया तथा जब दोनों से क्लब का लाइसेंन्स मांगा गया तो लाइसेंन्स दिखा नही पाए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. रोनक सिंह पुत्र अरुण कुमार निवासी म0न0834 जीएफ सैक्टर 03 वैशाली थाना कौशाम्बी उम्र 21 वर्ष।
2. आकाश पुत्र अजय पाल सिंह निवासी कस्बा व थाना विधुना भरतना रोड़ जिला औरैया हाल पता टीओडी क्लब शक्ति खंड 02 उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

03 हुक्का, 03 हुक्का प्लेट व 03 हुक्का पाईप बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त रोनक सिंह पुत्र अरुण कुमार व आकाश पुत्र अजय पाल सिंह उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्ज़े से तीन लाख रुपये, एक आई –फोन, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड व तीन एटीएम कार्ड बरामद।

घटना का विवरण:- दिनांक 09.12.2024 को वादी दुष्यंत कुमार S/O ओमप्रकाश TROT HOTEL गेस्ट हाउस SB-26 शास्त्री नगर थाना कविनगर गाज़ियाबाद ने अभि0 के द्वारा आवेदक के HOTEL से करीब साढे चार लाख रुपया लेकर फरार हो जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण:- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 19.12.2024 को अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार हाल नि0 बी-158 शास्त्रीनगर थाना कविनगर कमि0 गाज़ियाबाद मूल नि0 ग्राम हसेरंन थाना

इन्द्रगढ़ ज़िला कन्नौज को स्वेदेशी कम्पाउंड के पास सर्विस रोड कविनगर औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार ने पूछने पर बताया कि साहब दिनांक 08/12/2024 की रात को मेरी ड्यूटी ट्रोट होटल के रिसेप्शन पर थी वहां पर रखे लॉकर में से मैने करीब 4 लाख 20 हजार रुपये चुराये थे। यह उन्ही में से बचे रुपये है, यह आई-फोन भी मैने उन्ही रुपयो से चंडीगढ़ से ख़रीदा है। मैं चोरी करने के बाद यहां से चंडीगढ़ चला गया था और वही पर मौज़ मस्ती कर रहा था,मुझे पता चला था कि इन लोगो ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है तो मैं वकील से मिलने के लिए गाज़ियाबाद आया था, बाकी शेष रुपए मैंने अपनी मौज़-मस्ती व एशो आराम में खर्च कर दिए।

बरामदगी-

- तीन लाख रुपये
- एक आई –फोन
- एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड व तीन एटीएम कार्ड

अभियुक्त का नाम पता-

शैलेन्द्र कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार हाल नि0 बी-158 शास्त्रीनगर थाना कविनगर कमि0 गाज़ियाबाद मूल नि0 ग्राम हसेरंन थाना इन्द्रगढ़ ज़िला कन्नौज

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम